संख्या- 15/2017/482/33-3-2017-100(26)/2015

प्रेषक,

सुशील कुमार मौर्य
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च ,2017

विषय- चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों हेतु वर्ष 2016- 17 के लिए संस्तुत बुनियादी अनुदान की द्वितीय किस्त के आवंटन की धनराशि अवमुक्त किए जानें के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/ शा0/04/2017-8/03/2017, दिनांक 20.03.2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 व शासनादेश संख्या-41/2015/3006/33-3-2015-100(26)/2015 दिनांक 10 नवम्बर 2015 तथा शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18.02.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहनें का निदेश हुआ है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों हेतु वर्ष 2016-17 के लिए बुनियादी अनुदान की धनराशि की द्वितीय किश्त रू. 26672987000/- (रू. दो हजार छः सौ सरसठ करोड उन्नतीस लाख सत्तासी हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के अधीन संलगन जनपदवार फाण्ट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जानें की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय चौदहवें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किए जानें के संबंध में निर्गत किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

(3) उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति धनराशि को निर्गत करनें के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी प्रायोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी; जिसका सम्पर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(4) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करनें के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करनें का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो; उन मामलों में व्यय करनें के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(5) शासकीय व्यय में मितव्यतता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-934/ दस-2008-1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध धनराशि की सीमा के उपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होनें का दायित्व निदेशक,पंचायतीराज का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/ दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त मदों पर होनें वाला व्यय चालू वित्त वर्ष 2016-17 में आय- व्ययक के अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-198- ग्राम पंचायतों को सहायता-04- चौदहवें वित्त आयोग- 0401- सामान्य बुनियादी अनुदान संख्या- 20 सहायता- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

3- यह ओदश वित्त -अनुभाग (यकव्य-आय)1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1/2016-बी/1-746-दस/ 2016-231/2016 ,मार्च 22 दिनांक ,2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(सुशील कुमार मौर्य)
विशेष सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,प्रथम/ आडिट प्रथम ,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त।
3- संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
4- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनउ।
6- संबंधित बैंकों को।
7- निदेशक,पंचायतीराज,लेखा उ0प्र0।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2
9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।
10- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।
11- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

पंचायतीराज अनुभाग-3 के शासनादेश **संख्या- 15/2017/482/33-3-2017-100(26)/2015**

दिनांक 30 मार्च, 2017 का संलग्नक

चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं हेतु वर्ष 2016-17 के लिए संस्तुत बुनियादी अनुदान की द्वितीय किश्त अवमुक्त करने हेतु जनपदवार फॉट

(धनराशि रू. में)

क्र.सं.	जनपद	ग्राम पंचायतों हेतु अनुदान की धनराशि
1	2	3
1	मेरठ	359018405
2	बागपत	270464088
3	गाजियाबाद	301671483
4	गौतमबुद्धनगर	228854228
5	बुलन्दशहर	437436987
6	सहारनपुर	420899735
7	मुजफ्फरनगर	379556605
8	आगरा	432102389
9	अलीगढ़	410497270
10	हाथरस	280599823
11	एटा	276865605
12	कासगंज	243257641
13	मैनपुरी	297670535
14	मथुरा	318208735
15	फिरोजाबाद	330745039
16	बरेली	439837556
17	बदायू	388091961
18	पीलीभीत	317675275
19	शाहजहापुर	376355847
20	मुरादाबाद	327277550
21	अमरोहा	273664847

22	रामपुर	297937265
23	बिजनौर	479580306
24	लखनऊ	381423714
25	रायबरेली	398494426
26	अमेठी	368887410
27	हरदोई	543328745
28	उन्नाव	421433195
29	सीतापुर	605210075
30	खीरी	548129883
31	फैजाबाद	359018405
32	अम्बेडकर नगर	343548073
33	सुल्तानपुर	365153192
34	बाराबंकी	457441727
35	गोण्डा	445172153
36	बलरामपुर	293669587
37	बहराइच	415831867
38	श्रावस्ती	189111478
39	इलाहाबाद	633750171
40	कौशाम्बी	288068260
41	फतेहपुर	372354899
42	प्रतापगढ़	433169309
43	वाराणसी	353150348
44	चन्दौली	290468828
45	गाजीपुर	465176893
46	जौनपुर	582004576
47	मिर्जापुर	375555657
48	सोनभद्र	374222008
49	संतरविदासनगर (भदोही)	253660106
50	हमीरपुर	217918304
51	बांदा	278732714
52	चित्रकूट	234989015
53	महोबा	208582758
54	गोरखपुर	502785805

55	महाराजगंज	359551865
56	देवरिया	397427506
57	कुशीनगर	450506750
58	बस्ती	344081532
59	सन्त कबीर नगर	266729870
60	सिद्धार्थ नगर	337146556
61	आजमगढ़	589206283
62	मऊ	291269018
63	बलिया	410497270
64	कानपुर नगर	280599823
65	कानपुर देहात	331811958
66	फर्रूखाबाद	278199254
67	कन्नौज	267530060
68	इटावा	265929680
69	औरैया	258994704
70	झांसी	278465984
71	ललितपुर	252593187
72	जालौन	249125699
73	शामली	240056883
74	संम्भल	304605513
75	हापुड़	329944849
	योग-	**26672987000**

(रू. दो हजार छः सौ सरसठ करोड उन्नतीस लाख सत्तासी हजार मात्र)

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।